

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, झारन

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प आलमसर

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी आलमसर व भू.अ.नि. आलमसर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार आलमसर नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम आलमसर तहसील आलमसर जिला आलमसर की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्न लिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>आलमसर</u>	226	<u>गोदीया</u>	<u>डी.बुराम पुत्र उमेश</u>
2	<u>आलमसर</u>	66	<u>पुस्खा, काबू, चंता</u>	<u>पुस्खाराम, बाबूराम, चंता</u>
3	<u>आलमसर</u>	54	<u>शंवराराम पुत्र देवा</u>	<u>शंवरलाल पुत्र देवाराज</u>
4	<u>आलमसर</u>	34	<u>परभा पुत्र उमेश</u>	<u>परभाराम पुत्र उमेश</u>



(Signature)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, झारन

क्रमांक :- 762

दिनांक :- 7.5.18

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार आलमसर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री आलमसर को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(Signature)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,
झारन

प्राप्त
7/5/18